न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 10/2015

1 मदनलाल पुत्र धुड़ाराम जाति जाट निवासी पापड़ा खुर्द तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सज्जन सिंह पुत्र धूड़ाराम
2 बनवारीलाल पुत्र धूड़ाराम
समस्त जाति जाट निवासी पापड़ा खुर्द तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मदनलाल आदि मु.नं. 344/2013 दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 349/2010 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 558 तथाकथित खसरा जो गलत दर्ज किए है 588 रकबा 0.80 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम काटलीपुरा तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 171 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि उक्त जमीन में से 600 वर्गमीटर जमीन में से बजरी निकालकर बेच रहे है तथा खडडे बनाकर कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर रहे हैं इस कारण खोदी गई भूमि काश्त लायक नहीं रही है इस कारण दर्ज खातेदारान को बेदखल कर दिया जावे। उक्त आशय के वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.06.2015 को राजस्व कैम्प पचलंगी में स्वीकार कर गलत रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर